झारखण्ड सरकार
उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग
नेपाल हाऊस, डोरण्डा राँची

संख्या.................. ..... 1116 /तिथि......01.06.16...

अधिसूचना

'भारत का संविधान' के अनुच्छेद 309 की परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल झारखण्ड अभियंत्रण/बहु प्रावैधिकी सेवा संवर्ग के समूह "ख" एवं समूह "ग" के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति, प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तों को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं:–

1. संक्षिप्त नाम तथा प्रारम्भ :–

(i) यह नियमावली "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा संवर्ग (ग्रुप 'ख' एवं 'ग' के अधीन तकनीकी अराजपत्रित पद) सेवा नियमावली, 2016" कहलायेगी।

(ii) यह नियमावली "झारखण्ड राजपत्र" में प्रकाशन की तिथि से प्रवृत्त होगी।

(iii) इसका विस्तार सम्पूर्ण झारखण्ड राज्य में होगा।

2. परिभाषाएँ :–

इन नियमों में जबतक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो:–

(i) "राज्यपाल" से अभिप्रेत है, झारखण्ड के राज्यपाल।

(ii) "समिति" से अभिप्रेत है, विनिर्दिष्ट सदस्यों से मिलकर–सरकार द्वारा निर्धारित पदोन्नति समिति।

(iii) "नियुक्ति प्राधिकारी" से अभिप्रेत है, समूह "ख" एवं उससे ऊपर के लिये सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, तथा समूह "ग" तक के लिये निदेशक, तकनीकी शिक्षा, झारखण्ड, रांची।

(iv) "अनुसूचित जाति" से अभिप्रेत है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा उल्लेखित "अनुसूचित जाति"।

(v) "अनुसूचित जनजाति" से अभिप्रेत है, भारत का संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा उल्लेखित "अनुसूचित जनजाति"।

(vi) "अन्य पिछड़े वर्ग" से अभिप्रेत है, राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अधिसूचना जो अन्य पिछड़े वर्ग के लिये हो।

(vii) "सेवा" से अभिप्रेत है, "झारखण्ड अभियंत्रण/बहुप्रावैधिकी सेवा/सम्वर्ग (ग्रुप–'ख' एवं 'ग' के अधीन अराजपत्रित पद पर नियुक्ति/प्रोन्नति एवं सेवा शर्त्तें)" नियमावली 2016

(viii) "प्रतियोगिता परीक्षा" से अभिप्रेत है, भर्त्ती के लिये नियम–6 के अधीन आयोजित प्रतियोगिता परीक्षा।

(ix) "आयोग" से अभिप्रेत है, झारखण्ड राज्य कर्मचारी चयन आयोग।

(x) "अनुसूची" से अभिप्रेत है इस नियमावली के साथ में संलग्न अनुसूची।

(xi) "समूह 'ख' के पदों से अभिप्रेत है कोई ऐसा पद, जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित समूह 'ख' हो।

(xii) "समूह 'ग' के पदों से अभिप्रेत है कोई ऐसा पद जिसका वेतन अथवा जिसके वेतनमान कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के द्वारा निर्धारित समूह 'ग' हो।

3. विस्तार तथा प्रयुक्ति :-- झारखण्ड राज्य में राजकीय सेवा/सम्वर्ग के लिये गठित एवं प्रवृत्त सामान्य नियम में अन्तर्विष्ट उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ये नियम सेवा/सम्वर्ग के प्रत्येक सदस्य पर लागू होंगे।

4. सेवा का गठन:-- सेवा/संवर्ग में निम्नलिखित व्यक्ति होंगे अर्थात्:--

1. वे व्यक्ति जो इन नियमों के प्रारंभ होने के समय अनुसूची में विनिर्दिष्ट पद मूल रूप से या स्थानापन्न रूप से धारण कर रहे हो।
2. वे व्यक्ति, जो इन नियमों के प्रारंभ होने के पूर्व सेवा में भर्त्ती किये गये हो, और
3. वे व्यक्ति, जो इन नियमों के उपबंधो के अनुसार सेवा में भर्त्ती किये जाऐंगे।

5. वर्गीकरण, वेतनमान आदि:--

सेवा/संवर्ग में सम्मिलित पद उनका वर्गीकरण तथा उनके वेतनमान निम्न अनुसार होंगे। साथ ही इन पदों के लिये समय-समय पर राज्य सरकार द्वारा यथा स्वीकृत् वेतनमान लागू होंगे।

क्र0सं0	पदनाम एवं वेतनमान
01	02
01.	कनीय अनुदेशक, वेतनमान 5200--20200, ग्रेड पे0 2800
02.	फोरमेन, वेतनमान 9300-34800, ग्रेड पे0 4200
03.	सहायक कर्मशाला अधीक्षक वेतनमान् 9300-34800, ग्रेड पे0 4600
01.	प्रयोगशाला सहायक वेतनमान् 5200-20200, ग्रेड पे0 2800
02.	प्रयोगशाला सहायक (i) वेतनमान् 9300-34800, ग्रेड पे0 4200
03.	मुख्य प्रयोगशाला सहायक, वेतनमान् 9300-34800, ग्रेड पे0 4600

(393)

6. चयन की प्रक्रिया :—

(I) सेवा में चयन निम्नलिखित तरीकों से किया जाएगा, अर्थात्

(क) आयोग द्वारा लिखित प्रतियोगिता परीक्षा, मेधा में प्राप्त अंको एवं अनुभव के आधार पर आयोग द्वारा तैयार की गई अंतिम मेधा—सूची के अनुसार होगी। प्रतियोगिता परीक्षा एक पत्र की होगी, जो 50 अंको की, 02 घंटे अवधि की तथा 100 बहुवैकल्पिक वस्तुनिष्ठ प्रश्न पत्र पर आधारित होगी। परीक्षा का पाठ्यक्रम आवेदक के संबंधित शाखा/विषय का होगा। प्रयोगशाला सहायक के वैसे पद जिसके लिए शैक्षणिक अहर्त्ता स्नातक बी0एस0सी0 भौतिकी या रसायन विषय है, के लिए नियुक्ति हेतु ली जाने वाली परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम अनुसूची 03 के आधार पर होगी। प्रयोगशाला सहायक के वैसे पद जिनके लिए शैक्षणिक अर्हत्ता संबंधित शाखा में अभियंत्रण में डिप्लोमा है, के परीक्षा के लिए पाठ्यक्रम, परीक्षा लिए जाने वाले वर्ष में राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, झारखण्ड की उस शाखा के मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम होंगे।

परीक्षा पद्धति झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की जाएगी।

अनुदेशक के पद जिसके लिए शैक्षणिक योग्यता संबंधित शाखा/ट्रेड में आई0टी0आई0 एवं अभियंत्रण में डिप्लोमा है के लिए परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम अनुदेशक पद के लिए उपर्युक्त शाखा के ट्रेड के लिए परीक्षा लिए जाने के वर्ष की श्रम, नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा अद्यतन पाठ्यक्रम होगा।

शैक्षणिक योग्यता के अंको का निर्धारण दो चरणों में होगा। प्रथम मैट्रिक स्तर या 10th स्तर एवं आई0टी0आई0/डिप्लोमा या स्नातक विज्ञान स्तर।

मैट्रिक स्तर या 10th में प्राप्त अंकों के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। प्रत्येक 05 % अंक पर 01 अंक निर्धारित होगा।

आई0टी0आई0/डिप्लोमा या स्नातक विज्ञान में प्राप्त अंकों के लिए अधिकतम 20 अंक होंगे। प्रत्येक 05 % अंक पर 01 अंक निर्धारित होगा।

अनुभव के लिए अधिकतम 10 अंक रखे जायेंगे। अनिवार्य अहर्त्ता के उपरान्त प्रत्येक पूर्ण वर्ष के अनुभव पर 02 अंक आवेदकों को मान्य होंगे।

नोटः-- अनुभव के निमित्त निम्न प्रमाण पत्र मान्य होंगेः—

(1) अनुभव के लिए फैक्ट्रीज एक्ट के तहत निबंधित संबंधित प्रतिष्ठान में अपने ट्रेड में रहने वाले पूर्ण कालिक कार्यरत कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी जो उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो।

(2) सरकारी/अर्द्ध सरकारी संस्थानों/प्रतिष्ठानों में संबंधित ट्रेड में पूर्णकालिक कार्यरत कर्मियों को अनुभव प्रमाण पत्र के रूप में मान्यता दी जाएगी जो उनके नियंत्री पदाधिकारी द्वारा निर्गत हो।

(ख) सेवा/संवर्ग के सदस्यों की विभागीय पदोन्नति द्वारा।

(392)

(II) इस नियमावली के अधीन तथा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार विभाग/निदेशालय द्वारा स्वीकृत पदों के विरूद्ध नियमानुसार नियुक्ति/प्रोन्नति की जायेगी।

(III) इन नियमों के उपबंधों के रहते हुए सेवा संवर्ग में किसी ऐसी विशिष्ट रिक्ति या रिक्तियों को, जिसको या जिनको भर्त्ती की किसी विशिष्ट कालावधि के दौरान भरा जाना आपेक्षित हो, भरे, जाने का तरीका या तरीके तथा प्रत्येक तरीके से भर्त्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की संख्या नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विभाग से परामर्श प्राप्त करके प्रत्येक अवसर पर अवधारित की जायेगी।

(IV) सेवा मे भर्त्ती करते समय **"झारखण्ड पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों में आरक्षण (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के लिए) अधिनियम 2001 (यथा अद्यतन संशोधित)"** के प्रावधान तथा कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जाने वाले निदेश अनिवार्य रूप से लागू होंगे।

(V) सेवा में वर्ग 'ख' एवं 'ग' के तकनीकी/गैर तकनीकी पदों के लिये चयन नियम 6 के अनुसार किया जायेगा।

(VI) राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा अनुशंसित सीधी भर्त्ती के लिये अधिमान्यता के क्रम में योग्य पाये गये अभ्यर्थियों की एक सूची विभाग को आयोग प्रस्तुत करेगा।

7. <u>सेवा में पदों पर नियुक्ति:–</u>

(i) इन नियमों के प्रारम्भ होने के पश्चात् सेवा/संवर्ग में समस्त नियुक्तियों नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा की जायगी और ऐसी कोई भी नियुक्ति नियम 6 में विनिर्दिष्ट भर्त्ती के तरीके में से किसी एक तरीके से चयन करने के पश्चात् की जायेगी अन्यथा नहीं।

8. <u>सीधी भर्त्ती की पात्रता की शर्त्ते</u> :– परीक्षा में भाग लेने का पात्र होने के लिए अभ्यर्थी को निम्नलिखित शर्त्ते पूरी करनी होगी, अर्थात्

(i) आयु:– कनीय अनुदेशक एवं प्रयोगशाला सहायक पद के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होगी। अधिकतम आयु के संबंध में कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत परिपत्र/अधिसूचना में जो अधिकतम आयु सीमा तय की गई है लागू होगी।

टिप्पणी:– उम्र निर्धारण हेतु कट–ऑफ–डेट अधियाचना वर्ष की 01 अगस्त रहेगी।

(ii) शैक्षणिक अर्हताएं:– इस सेवा के विभिन्न पदों के लिये निर्धारित शैक्षणिक अहर्त्ता निम्न होगी जिसकी विवरणी अनुसूची में भी दर्ज की जा रही है।

391

क0सं0	पदनाम एवं वेतनमान	सीधी नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता/अनुभव
01	02	03
		अनुदेशक संवर्ग
01.	कनीय अनुदेशक, वेतनमान 5200–20200 ग्रेड पे0 2800	(क) प्रवेशिकोत्तीर्ण (ख) संबंधित व्यवसाय से आई0टी0आई0 उत्तीर्ण अथवा संबंधित शाखा में त्रिवर्षीय डिप्लोमा। (ग) पांच वर्ष का अनुभव (मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रतिष्ठान से अथवा राज्य या केन्द्र सरकार से मान्यता प्राप्त तकनीकी संस्थान) नोटः– (1) Physical Instructor के लिए सरकारी मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमित पूर्ण कालिक DPEd या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से नियमित पूर्ण कालिक BPEd (2) आई0टी0आई0/डिप्लोमा/DPEd/BPEd की अध्ययन अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जायेगी।
02.	फोरमैन, वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे0 4200	—वही—
03.	सहायक कर्मशाला अधीक्षक वेतनमान् 9300–34800, ग्रेड पे0 4600	—वही—
		प्रयोगशाला सहायक संवर्ग
01.	प्रयोगशाला सहायक वेतनमान् 5200–20200 ग्रेड पे0 2800	तकनीकी प्रयोगशाला के लिए AICTE मान्यता प्राप्त त्रिवर्षीय संबंधित शाखा में अभियंत्रण में डिप्लोमा पाठ्यक्रम। संबंधित शाखा का तात्पर्य यांत्रिकी, विद्युत, असैनिक, इलेक्ट्रोनिक्स एवं दूरसंचार, कम्प्यूटर साईन्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन अभियंत्रण, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाईल, धातुकर्म अभियंत्रण है। नोटः– डिप्लोमा अवधि की गणना अनुभव के रूप में की जाएगी।
02.	प्रयोगशाला सहायक (I) वेतनमान् 9300–34800 ग्रेड पे0 4200	भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से भौतिकी के साथ विज्ञान में स्नातक। रसायन विज्ञान प्रयोगशाला के लिए UGC से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन के साथ विज्ञान में स्नातक। तकनीकी विषयों के प्रयोगशाला सहायक पद के लिए AICTE मान्यता प्राप्त संबंधित शाखा में नियमित अभियंत्रण में डिग्री। संबंधित शाखा का तात्पर्य यांत्रिकी, विद्युत, असैनिक, इलेक्ट्रोनिक्स एवं दूरसंचार, कम्प्यूटर साईन्स, सूचना प्रौद्योगिकी, खनन अभियंत्रण, ड्रिलिंग टेक्नोलॉजी, ऑटोमोबाईल, धातुकर्म अभियंत्रण होंगे।
03.	मुख्य प्रयोगशाला सहायक वेतनमान् 9300–34800 ग्रेड पे0 4600	—वही—

नोटः– विभिन्न संस्थानों के लिए प्रयोगशाला सहायक एवं अनुदेशकों के लिए शाखा एवं ट्रेड अनुसूची II के अनुरूप होगी।

(iii) फीस :– अभ्यर्थी को नियुक्ति प्राधिकारी/राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा निर्धारित की गई फीस का भुगतान करना होगा।

9. निरर्हताएं :– अभ्यर्थी द्वारा किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिये की गई संरचना या कोई भी प्रयत्न उनकी अयोग्यता समझा जायगा।

10. अभ्यर्थियों की पात्रता एवं अपात्रता के सबंध में नियुक्ति प्राधिकारी का विनिश्चय अन्तिम होगा।

11. सीधी भर्त्ती के लिए उपलब्ध रिक्त पदों के लिए सरकार द्वारा निर्धारित आरक्षण अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े वर्गो के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित रखे जाएगे। नियुक्ति के समय सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन पद आधारित आरक्षण रोस्टर लागू होगा।

12. वर्ग 'ख' एवं 'ग' के पद राज्यस्तरीय पद है जिसके लिए राज्य स्तरीय मेधा सूची तैयार कर ली जाएगी।

13. अभ्यर्थियों से आवेदन विज्ञापन प्रकाशन कर आमंत्रित किये जायेंगे।

14. इस नियमावली के अन्तर्गत सेवा के किसी समूह/शाखा के संवर्ग में किसी पद के लिये पात्र सरकारी सेवक का आवेदन झारखण्ड सरकारी सेवक पद हेतु आवेदन नियमावली 1956 के अन्तर्गत सक्षम प्राधिकार के माध्यम से अग्रसारित होना चाहिए।

15. <u>अनुशंसित अभ्यर्थियों की सूची:–</u>

(i) यदि नियुक्ति प्राधिकारी सूची में कोई परिवर्तन करना आवश्यक समझे तो नियुक्ति प्राधिकारी प्रस्तावित परिवर्त्तन की जानकारी सरकार को देगा तथा सूची को अन्तिम रुप से सरकार के परामर्श से अनुमोदित कर सकेगा।

(ii) सूची में किसी अभ्यर्थी का नाम सम्मिलित किए जाने से ही उसे नियुक्ति का कोई अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता जब तक नियुक्ति प्राधिकारी नियुक्ति प्रक्रिया से सन्तुष्ट न हो लें।

(iii) नियुक्ति के पूर्व नियुक्ति पदाधिकारी द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के सभी मूल प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर ही नियुक्ति पत्र निर्गत किये जायेंगे।

16. <u>चयन सूची से सेवा में नियुक्ति:–</u>

(i) चयन सूची में सम्मिलित व्यक्तियों की सेवा के संवर्ग अन्तर्गत आने वाले पदों पर नियुक्तियां उसी क्रम से की जाएगी जिस क्रम में ऐसे व्यक्तियों के नाम चयन सूची में हों।